20

COURT FEE INDIA भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES

CANCELLED

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प–जबलपुर

अपील /3892-I-15

प्र.क्रं.

अपीलार्थी– संजय सिंह परस्ते पिता प्रियोत्तम सिंह परस्ते निवासी गौर सालीवाडा जिला जबलपुर

वि रु द्ध

प्रत्यर्थी– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर

एम० मुद्गल
रीडर
9 NOV 2015

अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग

अपील अंतर्गत धारा 44 (2) मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

दिनांक 26.11.15 को पेशी नियत ... 26/11/15

अपीलार्थी माननीय न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 77–अ/21–14–15 में पारित आदेश दिनांक 9–10–2015 से परिवेदित होकर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नांकित तथ्य एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है :–

तथ्य :–

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3892–एक/15 — जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-6-16	प्रकरण का अवलोकन किया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक अपील 77/अ–21/14–15 मे पारित आदेश दिनांक 9–10–15 के विरूद्व म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के तहत पेश की गई है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत की गई अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अपने भूमिस्वामित्व की ग्राम जमुनिया प.ह.नं. 81 रा.नि.मं. खमरिया स्थित भूमि खसरा नं. 90/3 रकबा 0.400 एवं ग्राम बल्हवारा जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 376/1 रकबा 0.060 हैक्टर को गैर आदिवासी को विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में दिया गया । जिस पर से कलेक्टर द्वारा प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त किये गये । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत कलेक्टर ने आदेश दिनांक 25-11-14 द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त किया । इसके विरूद्व प्रस्तुत अपील में अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वाराप्रकरण कलेक्टर न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया है । जिलाध्यक्ष द्वारा आवेदक का आवेदन कलेक्टर द्वारा इस आधार पर निरस्त किया गया है कि भूमि एक तरह से निवेश की वस्तु होती है । आवेदित भूमि मेन रोड से 01 किलोमीटर अंदर होने के कारण उसकी कीमत बढ़ने की पूरी संभावना है । कलेक्टर का भूमि की कीमत	

अपी.- 3892-II/15 (जबलपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	भविष्य मे बढ़ने संबंधी निष्कर्ष अपने स्थान पर उचित हो सकता है किंतु उक्त संभावना के आधार पर उनका निष्कर्ष न्यायिक एवं विधिक दृष्टि से सही नहीं है क्योंकि संहिता में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि यदि भूमि पहुंच मार्ग के निकट स्थित हो अथवा भविष्य में उसकी कीमत बढ़ने की संभावना हो तो उसके विक्रय की अनुमति नहीं दी जा सकती । इसके अतिरिक्त जिलाध्यक्ष द्वारा लिया गया यह आधार कि आवेदित भूमि पर आवेदक का नाम 20-2-14 को अंकित हुआ है इसके ठीक बाद माह मई में विक्रय किये जाने का अनुबंध किया गया है, इस कारण अंतरण संदेहास्पद है । कलेक्टर का उक्त निष्कर्ष न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भूमि क्रय किये जाने अथवा अभिलेख में नाम दर्ज होने के ठीक बाद उसका अंतरण नहीं किया जा सकता है । प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में स्पष्ट किया गया है उक्त भूमि आवेदक द्वारा क्रय की हुई भूमि है शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है । प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भूमि विक्रय की अनुमति से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त द्वारा जिलाध्यक्ष के आदेश को उचित नहीं पाया है ऐसी स्थिति में उन्हें प्रकरण का निराकरण स्वयं करना चाहिए था नाकि प्रकरण को प्रत्यावर्तित करना चाहिए था । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरांत यह पाया जाता है कि आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति दिए जाने में उसके आर्थिक हितों का हनन नहीं होगा । दर्शित परिस्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाते हैं एवं यह अपील स्वीकार करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व की ग्राम जमुनिया प.ह.नं. 81 रा.नि.मं. खमरिया स्थित भूमि खसरा नंबर 90/3 रकबा 0.400 एवं भूमि	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 3892-एक/15 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	स्वामित्व की ग्राम बल्हवारा जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 376/1 रकबा 0.060 हैक्टर को विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :- 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । पक्षकार सूचित एवं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	